न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 65 / 2017

सोनू सैनी पुत्र तेजराम सैनी निवासी शिवाजी कॉलोनी लाखो वाली ढाणी निवाई जिला टोंक

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 02.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

आपके द्वारा रीको मूण्डिया से मिले मुआवजा जो ओधोगिक क्षेत्र निवाई के खसरा संख्या 120 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा और खाता तेजराम,लालचन्द,कैलाश, कन्हैया है। इनका मुआवजा आपके द्वारा वितरण किया है। अतः मुआवजा पाने वाले का नाम ओर कब दिया गया है और यदि नही दिया गया है तो मुआवजा राशि का चैक कहां पर है। इसकी सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करवाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1665 दिनांक 18.10.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1585 दिनांक 24.10.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र कमांक 1551 दिनांक 13.10.2017 से अपीलार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक